रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032024-253350 CG-DL-E-23032024-253350

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1456] No. 1456]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 22, 2024/चैत्र 2, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 22, 2024/CHAITRA 2, 1946

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2024

का.आ. 1525(अ).—केंद्र सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा दिनांक 31 दिसम्बर 2018 के का.आ. 6409 (अ.) के माध्यम से भारत के राजपत्र भाग II, खंड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं. जेड-28016/65/2017-पीएमएसएसवाई-IV दिनांक 31 अक्तूबर, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है-:

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टि में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात: "धारा 4 के खंड (कक) के अंतर्गत सदस्य:

"1. कुलपित, डॉ. वाईएसआर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश"

सदस्य का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

[फा सं. जेड-28016/65/2017-पीएमएसएसवाई-IV)]

अंकिता मिश्रा बुंदेला, संयुक्त सचिव

2207 GI/2024 (1)

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2024

S.O. 1525(E).—In exercise of powers conferred by Section 4 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of Government of India in Ministry of Health & Family Welfare, File Number Z-28016/65/2017-PMSSY-IV dated the 31st Oct, 2018 published in the Gazette of India Part II, section 3, Sub-Section (ii) vide SO 6409(E) dated the 31st Dec, 2018:

In the said notification, for serial number 1 and the entry relating thereto, the following should be substituted, namely:-

"Member under clause (aa) of Section 4:

"1. Vice Chancellor, Dr. YSR University of Health Sciences, Vijayawada, Andhra Pradesh"

The terms of office of member shall be governed by the provisions contained in Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[F. No. Z-28016/65/2017-PMSSY-IV]

ANKITA MISHRA BUNDELA, Jt. Secy.